कार्यालय नगर परिषद, सुपौल

(वन्दोवस्ती हेतु आम सूचना)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये नगर परिषद सुपौल क्षेत्रान्तर्गत निम्नांकित वन्दोवस्ती की खुली डाक दिनांक– 28.02.2019 को 11:00 बजे पूर्वाहन में नगर परिषद, सुपौल के कार्यालय में सम्पन्न किया जाएगा। इच्छुक डाकवक्ता निर्धारित तिथि एवं समय पर डाक में भाग ले सकते है। प्रथम निर्धारित तिथि को वन्दोवस्ती नहीं होने की स्थिति में पुनः दिनांक– 01.03.2019 एवं द्वितीय निर्धारित तिथि को वन्दोवस्त नहीं होने की स्थिति में अंतिम वन्दोवस्त दिनांक 02.03.2019 को वन्दोवस्ती की जाएगी।

क्र0	सैरात का नाम	सरकारी वन्दोवस्त की राशि	सुरक्षित जमा राशि
1	बस पड़ाव	2920500.00	438075.00
2	टैम्पू पड़ाव	778550.00	116782.00
3	बांस व्यापारी	45500.00	6825.00
4	वार्ड नं0 10 एवं 12 मांस मछली/सब्जी की परिसर स्थित दुकान	551100.00	82665.00
5	कचहरी स्थित सभी दुकान	815000.00	122250.00
6	नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत होडिंग की वसूली	189000.00	28350.00
7	दक्षिण हटखोला स्थित शौचालय	132250.00	19837.00
8	पानी टंकी के निकट शौचालय	31308.00	4696.00
9	महावीर चौक स्थित शौचालय	24477.00	3671.00
10	पटेल चौक स्थित शौचलय	28865.00	4329.00
12	न्यायालय परिसर स्थित शौचालय	57500.00	8625.00

आवश्यक शर्ते :–

1. प्रत्येक डाक की सुरक्षित जमा राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में डाक प्रारंभ होने से पूर्व जमा करना होगा जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल के नाम से देय होगा, जो सुपौल के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतेय हो।
2. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को नगर परिषद, सुपौल के किसी भी प्रकार का बकाया प्रमाण–पत्र एवं स्वघोषित चरित्र प्रमाण–पत्र संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. उच्चतम डाक वक्ता को डाक समाप्ति के तुरंत बाद पूरी राशि जमा करनी होगी। तुरंत जमा नही करनें की स्थिति में सुरक्षित राशि जप्त करते हुए द्वितीय डाक वक्ता को तुरंत राशि प्राप्त कर बंदोवस्त कर दी जाएगी।
4. डाक की बोली अप्रत्याशित रूप से बढ़ने की स्थिति में पूरी राशि तुरंत जमा ले कर ही बढ़े हुए डाक को मान्यता दी जाएगी। राशि जमा नही करनें पर डाक को मान्यता नही दी जाएगी। एवं डाक नहीं लेने की स्थिति में जमा राशि जब्त कर ली जाएगी एवं द्वितीय वक्ता को वंदोवस्त कर दी जाएगी।
5. उच्चतम डाकधारी को डाक समाप्ति के तुरन्त बाद डाक राशि का पांच प्रतिशत राशि स्टाम्प शुल्क एवं पांच प्रतिशत निबंधन शुल्क जमा करना होगा ताकि उसे सूचना के अनुरूप शर्तो पर एकरारनामा की जा सके। एकरारनामा के बाद ही परवाना (वसूली आदेश) निर्गत किया जाएगा।
6. डाकधारी को किसी भी स्थिति में नगरपालिका अधिनियम, सरकारी निर्देश अथवा परिषद के शर्तो के उल्लंघन करने का अधिकार नहीं होगा।
7. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी डाक को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
8. वन्दोवस्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कच्चा/पक्का/गुमटी आदि का निर्माण वर्जित रहेगा।
9. फुटपाथी दुकानदारों से वसूली किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाएगी।
10. विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय सूचना पट, जिला के बेवसाइट **WWW.Supaul.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।
11. वन्दोवस्त वसूली की दर वोर्ड पर लिख कर सार्वजनिक करना होगा नही करने की स्थिति में रद्द कर दी जायेगी और डाक की राशि जप्त कर ली जायेगी।
12. वन्दोवस्ती की वसूली निर्धारित से हटकर करने पर डाक रद्द करते हुए कानुनी कार्रवाई की जायेगी।
13. बस एवं टैम्पू की वन्दोवस्ती की वसूली किसी भी परिस्थिति में सड़क या चौराहे पर नहीं की जायेगी।
14. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी वन्दोवस्त को परवाना के अनुसार नहीं वसूलने पर वन्दोवस्त को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा जमा राशि स्वतः जप्त हो जायेगी।
15. होडिंग लगाने का स्थल नगर परिषद, सुपौल द्वारा निर्धारित की जायेगी।
16. किसी भी वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सुपौल होगा।
17. सरकारी डाक से 50 प्रतिशत बोली लगने पर डाक की सम्पूर्ण राशि जमा करने के बाद ही आगे डाक की बोली लगाई जाएगी।

Sd/-
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सुपौल।

ज्ञापांक ...395... /न.प. सुपौल, दिनांक ...25/02... /2019

प्रतिलिपि :– संवाददाता, हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण/दैनिक भाषकर/प्रभात खबर को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कर विपत्र भुगतान हेतु प्रस्तुत करना चाहेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि जिला के बेवसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सुपौल।
28/2/2019

Sonu : E/2018-19/Asjad letter 18-19